

फॉर्म II

पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
(पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,
नई दिल्ली -110016

सूचना

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उपधारा (2) के तहत)

1. पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 में है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित है, ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत ट्रांसमिशन लाइनों, सब-स्टेशनों और अन्य संपत्तियों, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, के संबंध में ट्रांसमिशन लाइसेंस देने के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष आवेदन किया है:-

क्र.सं.	पारेषण परिसंपत्तियों का नाम और स्थान	क्षमता	अनुमानित पूर्णता लागत	कमीशनिंग अनुसूची	टिप्पणी
1	1 नग 220 केवी बे फतेगढ़- III पीएस में (तत्कालीन रामगढ़-II) जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी फाइव लिमिटेड बीईएसएस परियोजना के इंटरकनेक्शन के लिए	220 केवी लाइन बे -1	रु. 5.94 करोड़ रुपये	30.06.2025	विनियमित टैरिफ तंत्र के तहत लागू किया जाना है

2. आयोग के समक्ष दायर पूर्ण आवेदन-पत्र और अन्य दस्तावेज, किसी भी व्यक्ति की सहज पहुँच हेतु, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर उपलब्ध हैं। आवेदन-पत्र कंपनी के कार्यालय, सी/ओ ईडी (टीबीसीबी), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001 पर श्री एसके मिश्रा, परियोजना प्रभारी, पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ या आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आयोग के कार्यालय पर भी देखा जा सकता है।
3. आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, आवेदक या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा आपत्ति(आपत्तियों)/सुझाव(ओं) की एक प्रति के साथ, पावरग्रिड की वेबसाइट पर नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, तीसरी मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली -110001 के समक्ष दायर किए जाएंगे।



पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड

स्थान: जैसलमेर

तारीख: